विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली–110 108

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

Ph.EPABX - 23063800, 23063802 23063813 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061060, e-mail - dcmsmehq@nb.nic.in

5(1)/2011-MSME POL

Dated 14.6.2011

विषय: - दस्तावेजों में शब्द 'लघु उद्योग' के स्थान पर शब्द 'सूक्ष्म और लघु उद्यम' के प्रतिस्थापन के संबंध में ।।

लघु उद्योगों (Small Scale Industries) को पहले औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत परिभाषित किया गया था । लेकिन 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' के कार्यान्वयन के बाद शब्दावली 'उद्योग' के स्थान पर 'उद्यम' का प्रयोग किया गया है तथा 'उद्यम' को दो श्रेणियों में अर्थात् विनिर्माण और सेवा में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों में से प्रत्येक को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' की धारा 7 (1) में प्रदत्त है और अधिसूचना संख्या का० आ०1642(अ) दिनांक 29.09.2006 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा भी अधिसूचित किया गया है। 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' में परिभाषित 'सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE)' को 'लघु उद्योगों' (एसएसआई) के तुल्य परिभाषित किया है।

2. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' के कार्यान्वयन के बाद औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधान के अंतर्गत लघु उद्योगों के वर्गीकरण के लिए अधिसूचित प्रधान अधिसूचना संख्या का०आ० 857 (अ) दिनांक 10.12.1997 को अधिसूचना संख्या का०आ० 563(अ) दिनांक 27.2.2009 (प्रति संलग्न) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

3. इस कार्यालय को ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रदान योजनाओं/कार्यक्रमों/ सुविधाओं/प्रोत्साहन आदि से संबंधित विधियों/नियमों/अधिसूचनाओं/दिशा निर्देशों/अनुदेशों आदि में अभी भी 'लघु उद्योग' (एसएसआई) शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है क्योंकि उपरोक्त दस्तावेज़ों में शब्द 'लघु उद्योग' को 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों' में परिवर्तित नहीं किया गया है। इस बदलाव के बारे में केन्द्र/राज्य सरकारों के सरकारी तंत्र के संचालन के स्तर पर जागरूकता के अभाव के कारण यह समस्या और बढ़ गई है।

4. अतः यह अनुरोध है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) क्षेत्र को इससे संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए उपरोक्त सभी दस्तावेज़ों की शब्दावली में आवश्यक संशोधन किया जाए।

5. इसके अलावा, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' के कार्यान्वयन के उपरान्त, लघु उद्योग के स्थाई पंजीकरण की पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया समाप्त हो गई है और 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006' की धारा 8 के अनुसार 'उद्यमी ज्ञापन (Entrepreneurs Memorandum)' दायर करने की एक नई प्रक्रिया लागू हो गई है। लेकिन कुछ विधियों/नियमों/अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों/अनुदेशों आदि के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बनी योजनाओं/कार्यक्रमों/सुविधाओं/प्रोत्साहन आदि में पात्रता के लिए अभी भी 'उद्यमी ज्ञापन (Entrepreneurs Memorandum) की अभिस्वीकृति सूचना (Acknowledgement)' के स्थान पर लघु उद्योग के स्थाई पंजीकरण को निर्धारित किया गया है। कृपया संबंधित दस्तावेजों में तदनुसार संशोधन करने की कृपा करें।

6. संक्षिप्ततः, यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त विधियों/नियमों/अधिसूचनाओं /दिशानिर्देशों/अनुदेशों आदि में शब्द 'लघु उद्योग' के स्थान पर शब्द 'सूक्ष्म और लघु उद्यम' तथा 'स्थायी लघु उद्योग पंजीकरण(Permanent SSI registration)' के स्थान पर 'उद्यमी ज्ञापन (Entrepreneurs' Memorandum) की अभिस्वीकृति सूचना (Acknowledgement)' को प्रतिस्थापित किया जाए।

कृपया, इस संबंध में की गई कार्यवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें ।

संलग्नकः यथोक्त

(पी०के० सिनहा)
उप निदेशक (सू०ल०म०उ० नीति)

प्रेषण : सूची के अनुसार

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर-05

क्रमांक : एफ.15(1)आयु.उ./EM-अनु./EM मार्गदर्शन/2011 दिनांक : 7.7.2011

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त ।
2 सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उपकेन्द्र, समस्त ।
3 मास्टर फाइल ।
4 समस्त प्रसंस्करण अधिकारी (मु०)

July 07, 2011
संयुक्त निदेशक, उद्योग

विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108

सत्यमेव जयते

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COM
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPR
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM E
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Aza
New Delhi - 110 108

Ph.EPABX - 23063800, 23063802 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061060, e-mail - comsmehq@nb.nic.in

No. 5(1)/2011-MSME Pol. Date: 14.6.2011

Subject:- **Substitution of the term 'Micro and Small Enterprises' in place of term 'Small Scale Industries' in the documents -reg.**

A small scale industry (SSI) was earlier defined under the provisions of Industries [Development & Regulation] Act, [I(D&R) Act] 1951. However, after the implementation of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, the term industry is replaced with enterprise and categorized into two categories i.e. manufacturing and service. Each of these categories are classified into micro, small and medium enterprises. This classification has been provided in section 7(1) of the MSMED Act, 2006 and also notified vide Notification No.S.O.1642 (E) dated 29.9.2006 (copy enclosed). The erstwhile 'small scale industries' (SSIs) has been equated with micro and small enterprise (MSE) as defined in MSMED Act, 2006.

2. The Principal Notification No.S.O.857(E) dated 10.12.1997 issued under the provision of I(D&R) Act, 1951 for classification of Small Scale Industries has since been rescinded, after the implementation of MSMED Act, 2006, vide Notification No.S.O.563(E) dated 27.2.2009 (copy enclosed).

3. This office has received references that the term 'Small Scale Industry' (SSI) is still being used in the statutes/rules/notifications/guidelines/instructions etc. wherein schemes/programmes/facilities/incentives etc. have been provided for MSEs. This is creating problems for micro and small enterprises as the transformation of the term 'small scale industry' into 'micro and small

enterprises' has not taken place in the above documents. Lack of awareness about this change at the operational level of the Government machinery of the Centre/State has further added to the problem.

4. It is, therefore, requested that necessary amendments in terminology, as above, may kindly be made in all documents concerned to avoid problems for MSE sector.

5. Further, with the implementation of MSMED Act 2006, the earlier process of SSI registration has been done away with and a new procedure of filing of Entrepreneurs' Memorandum has been introduced in accordance with section 8 of the MSMED Act. However, some of the statutes/rules/notifications/ guidelines/instructions etc. still prescribe for permanent SSI registration instead of EM acknowledgement for eligibility under schemes/programmes/facilities/incentives etc. meant for micro and small enterprises. The same may kindly be amended accordingly in the documents concerned.

6. To sum up, it is requested to substitute the term micro and small enterprise (MSE) in place of small scale industry (SSI) and EM acknowledgement in place of permanent SSI registration in the statutes/rules/notifications/ guidelines/instructions etc. as detailed above.

Action taken in this regard may kindly be communicated to this office for record.

Encl.: as above

(P.K. Sinha)
Dy. Director (MSME Pol.)

To

As per mailing list.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD NO. D. L.-3300

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1152] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2006/आश्विन 8, 1928

No. 1152] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2006/ASVINA 8, 1928

लघु उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2006

का.आ. 1642(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन सलाहकार समिति की सिफारिश को प्राप्त करने के पश्चात् उद्यमों को चाहे वे स्वामित्वधारी, हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति संगम, सहकारी सोसायटी, भागीदारी उपक्रम या कोई अन्य विधिक इकाई हो, तथा किसी भी नाम से ज्ञात हों, अधिसूचित करती है,–

(i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों की दशा में, जैसे–

(क) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक न हो ;

(ख) एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक न हो; या

(ग) एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपए से अधिक हो परंतु दस करोड़ रुपए से अधिक न हो;

(ii) सेवाएं प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे उद्यमों की दशा में,

(क) एक ऐसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक न हो;

(ख) एक ऐसे लघु उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक न हो; या

(ग) एक ऐसे मध्यम उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रुपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक न हो।

[फा. सं. 4(1)/2006-एमएसएमई नीति]

जवाहर सरकार, अपर सचिव

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2006

S.O. 1642(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, after having obtained the recommendations of the Advisory Committee under Sub-section (4) of Section 7 of the Act in this regard, hereby notifies the following enterprises, whether proprietorship, Hindu undivided family, association of persons, co-operative society, partnership or undertaking or any other legal entity, by whatever name called :—

(i) in the case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as —

(a) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees;

(b) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or

(c) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees ;

(ii) in the case of the enterprises engaged in providing or rendering of services, as—

(a) a micro enterprise, where the investment in equipment does not exceed ten lakh rupees;

(b) a small enterprise, where the investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees; or

(c) a medium enterprise, where the investment in equipment is more than two crore rupees but does not exceed five crore rupees.

[F. No. 4(1)/2006-MSME Policy]
JAWHAR SIRCAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930
No. 363] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 563(अ).—केन्द्रीय सरकार, यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझती है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के अधीन आनुषंगिक और लघु औद्योगिक उपक्रमों को देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का सामंजस्य रीति से संवर्धन करने और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में उनकी जीवन क्षमता और सामर्थ्य बनाए रखने में समर्थ करने के लिए अनुपोषक उपायों, छूट या अन्य अनुकूल व्यवहार की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आदेश को, जो का.आ. 857(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित किया गया था, विखंडित करना आवश्यक समझती है ;

और उक्त विखंडित प्रारूप अधिसूचना की प्रति, उक्त अधिनियम की धारा 11ख की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष तीस दिन की अवधि के लिए रखी गई थी ;

और संसद के दोनों सदनों ने प्रस्तावित अधिसूचना में कोई उपांतरण करने का प्रस्ताव नहीं किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 11ख की उप-धारा (1) और धारा 29ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना को जो का.आ. 857(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई थीं या करने का लोप किया गया था ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 7(7)/2006-आईपी]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 857(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा प्रकाशित पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :—

1. का.आ. 1288(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 1999;
2. का.आ. 1013(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2001;
3. का.आ. 655(अ), तारीख 5 जून 2003;
4. का.आ. 1109(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2004; और
5. का.आ. 229(अ), तारीख 21 फरवरी, 2006 ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 563(E).—Whereas, the Central Government considers it necessary with a view to ascertain which

ancillary and small scale industrial undertakings need supportive measures, exemption or other favourable treatment under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter referred to as the said Act) to enable them to maintain their viability and strength so as to be effective in promoting in a harmonious manner the industrial economy of the country and easing the problem of unemployment;

And whereas, the Central Government considers it necessary to rescind the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, published vide number S.O. 857(E), dated the 10th December, 1997 for the above-said purpose;

And whereas, a copy of the said rescinding draft notification was laid before each House of Parliament for a period of thirty days as required under sub-section (3) of Section 11B of the said Act;

And whereas, no modification in the proposed notification has been suggested by both the Houses of Parliament;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11B and sub-section (1) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, published vide number S.O. 857(E), dated the 10th December, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 7(7)/2006-I.P.]

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 857(E), dated 10th December, 1997 and subsequently amended *vide* the following notifications :—

1. S.O. 1288(E), dated the 24th December, 1999;
2. S.O. 1013(E), dated the 9th October, 2001;
3. S.O. 655(E), dated the 5th June, 2003;
4. S.O. 1109(E), dated the 13th October, 2004; and
5. S.O. 229(E), dated the 21st February, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.